

06. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं कय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
07. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
08. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 (लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
09. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
10. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- 2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनाएं-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान-0202-महिला डेरी विकास योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

संख्या- /XV-2/01(08/2018(डेरी)तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
  2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
  3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
  4. निजी सचिव, मा० मंत्री, दुग्ध को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
  5. वित्त अनुभाग-4, /समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
  6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
  7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
  8. विभागीय पत्रावली।

आज्ञा से,

(शिवेन्द्र नारायण सिंह)  
अनु सचिव